संख्या–3138/चार–2001–6(20)/90टी०सी०

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण
सचिव
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2001

विषय संस्कृति विभाग द्वारा निर्माण करायी जा रही महापुरुषों की मूर्तियों के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अब तक जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग द्वारा

1. 8261/चार–90–6(20)90 दिनांक 13.12.1990	) महापुरुषों की मूर्तियों
2. सं०33/चार–91–6(20)90 दिनांक 14.1.1991	) के निर्माण के संबंध में
3. सं०2556(चार–97 दिनांक 15.7.1997	) निम्नलिखित दिशा–
4. सं०अ०शा०प०सं० 1851/चार–97 दिनांक 16.5.1997	) निर्देश का अनुपालन
5. सं० 1822(चार–97–7(14)/95 दिनांक 13.8.1997	) तात्कालिक प्रभाव से
6. सं० 236/स०नि०/25(84)/90 दिनांक 24.5.2000	)

सुनिश्चित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) संस्कृति विभाग में मूर्ति निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रस्ताव को दो (2) श्रेणी में बांटा जायेगा । प्रथम श्रेणी में उन प्रस्तावों को रखा जायेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वप्रेरणा से की गयी घोषणाओं पर आधारित है । इस श्रेणी में आने वाले प्रस्तावों के आधार पर मूर्ति निर्माण पर होने वाला व्यय संस्कृति विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी घोषणाओं के आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन के अनुरोध पर मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी हैं अथवा शासन में प्राप्त होने वाले ऐसे अन्य प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति /

व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन द्वारा किये गये हैं, के आधार पर यदि मूर्ति के निर्माण का निर्णय लिया जाता है, तो मूर्ति निर्माण में आने वाली कुल लागत के 25% का भुगतान सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन द्वारा किया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक सहभागिता होने के कारण मूर्ति स्थापना के प्रति उनकी जागरूकता और इच्छा बनी रहे। ये भुगतान ऐसे प्रस्तावक या उसके प्रतिनिधि द्वारा मूर्ति के नमूने/अनुकृति के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।

(3) मूर्ति निर्माण का आदेश तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित जिलाधिकारी द्वारा मूर्ति की स्थापना के लिये स्थल का चयन कर संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन को लिखित रूप में संस्तुति सहित सूचित न कर दिया जाये।

(4) मूर्ति-निर्माण के आदेश निर्गत करते समय संस्कृति विभाग के आय-व्ययक में मूर्ति निर्माण के मद में उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखा जायेगा तथा संस्कृति विभाग के समक्ष मूर्ति निर्माण के संबंध में लम्बित पूर्व देनदारियों को घटाते हुये जो आय-व्ययक में धनराशि उपलब्ध है, उसी की सीमा में रहते हुये ही मूर्ति के निर्माण के आदेश जारी किये जायेंगे।

2. इस आदेश द्वारा दिये जा रहे दिशा-निर्देश, संस्कृति विभाग द्वारा पूर्व में पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों पर अधिभावी/प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
सचिव

संख्या- 3138(1)/चार-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार आडिटप्रथम/लेखा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0 (निदेशक संस्कृति के माध्यम से)
(3) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

भवदीय,

(अनीस अहमद)
उप सचिव।

संख्या-3460ची/छ:पु-3-2008-25पी/2002

Repeat

प्रेषक,

मो0 जावेद अख्तर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:२५ सितम्बर,2008

विषय:- संतो,महात्माओं,महापुरूषों,संपूज्य व्यक्तियों आदि की प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सर्वसमाज में समय-समय पर जो सन्त, गुरू व महापुरूष हुए है उनकी स्थापित प्रतिमाओं की प्रत्येक दशा में सुरक्षा की जाय,असामाजिक तत्व उन्हें खण्डित करके अशान्ति व हिंसा का वातावरण न पैदा कर सके इसके लिए गृह(पुलिस) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1047/छ:पु-3-2007 दिनांक 20 मई,2007 के प्रस्तर 20 में यह निर्देश निर्गत किए गए है कि:-

" संतो,महात्माओं, महापुरूषों एवं संपूज्यजनों की प्रतिमा को तोड़कर अराजक तत्व समाज में जान- बूझकर अन्तर्कलह और तनाव पैदा करते है। अतः इस मामले में विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी स्थल पर, चाहे निजी भूमि ही क्यों न हो, संतो, महात्माओं, महापुरूषों आदि की प्रतिमा बिना शासन की अनुमति के न लगाई जाये तथा शासन स्तर पर इस संबंध में उच्चतम स्तर की अनुमति प्राप्त की जाय।"

2- उक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजनार्थ शासन स्तर से अनुमति दिये जाने के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1-जब भी कोई व्यक्ति किसी महापुरूष की नई प्रतिमा स्थापित करना चाहता है तो उसे संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा।

2- जिलाधिकारी उक्त आवेदन पत्र पर स्थल निरीक्षण कराकर अपनी संस्तुति गृह विभाग को भेजेंगे। संस्तुति के समय निम्न बिन्दुओं का समावेश अनिवार्य होगा:-

क- जिस भूमि पर महापुरूष की प्रतिमा लगाई जानी प्रस्तावित है, वह भूमि सार्वजनिक भूमि है अथवा किसी की निजी भूमि।

ख- यदि कोई सार्वजनिक भूमि है, तो संबंधित निकाय यथा-नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा या जैसी भी स्थिति हो, की स्पष्ट संस्तुति/ अनापत्ति से संबंधित निकाय के प्रस्ताव की प्रति भेजी जाय।

ग- यदि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर किसी महापुरूष की प्रतिमा लगाई जानी प्रस्तावित है, तो संबंधित भूस्वामी का लिखित सहमति पत्र भेजा जाय।

घ- जो संगठन/संस्था /निकाय उक्त महापुरूष की प्रतिमा लगाना चाहते है, इस बारे में संबंधित संगठन/संस्था/निकाय के लिखित प्रस्ताव की प्रति लगाई जाय।

च- उक्त महापुरूष की प्रतिमा लगाये जाने पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या भेजी जाय।

छ- कभी-कभी पुरानी प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव होता है। ऐसी दशा में पुरानी प्रतिमा को हटाये जाने के बारे में संबंधित उस

saasnadesh

संगठन/संस्था/निकाय का प्रस्ताव /सहमति, जिसने पुरानी प्रतिमा स्थापित कराई थी।

ण- यदि वह भूमि, जिस पर प्रतिमा की स्थापना प्रस्तावित है, विवादग्रस्त हो या उसके बारे में कोई मुकदमा आदि चल रहा है, तो उस मुकदमें के तथ्यों तथा उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में आख्या भी भेजी जाय। यदि कोई स्थगनादेश हो तो उसकी प्रति भी भेजी जाय।

3- उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी की संस्तुति शासन स्तर पर प्राप्त होने पर गृह विभाग में इसका परीक्षण करके मुख्य सचिव के माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शासन स्तर से अनुमति दी जा सकेगी।

4- उपरोक्त व्यवस्था शासन, सरकारी विभागों एवं शासन के नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं /संगठनों आदि पर नहीं लागू होगी।

उपरोक्त प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(मो०आलोक आनन्द)
सचिव

संख्या (1)पी/छ:पु-3-2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०के० गुप्ता)
विशेष सचिव।

मु० 230 / 2000-05 ॥ 84 ॥ 2000

(0) कार्यालय : 280002, 250000
280072, 272355

प्रेषक,

सचिव,
संस्कृति विभाग,
उ०प्र० शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

दिनांक 24 मई, 2000

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०

विषय : मूर्तियों की स्थापना हेतु पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

=

महोदय,

अवगत कराना है कि समय समय पर कतिपय जनपदों में स्थापना हेतु कतिपय महानुभावों/संतो/साहित्यकारों/राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को शासन के निर्णयानुसार संस्कृति निदेशालय द्वारा बनवाकर स्थापना हेतु उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित मूर्तियों की स्थापना हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी से मूर्ति के पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जाय की माँग प्रायः की जाती है। इस हेतु अवगत कराना है कि मूर्तियों के पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये कोई भी धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा[illegible]

अतः यथा स्थिति से अवगत होने तथा जनपद में स्थापित होने वाली मूर्ति के पेडेस्टल के निर्माण कार्य को स्थानीय संसाधनो से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया[illegible]

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
(शैलेश कृष्ण)
सचिव